न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या — 5/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
करताराम पुत्र सवाजी,जाति चौधरी,निवासी रेवतडा,तहसील सायला, जिला जालोर		1.मंशाराम पुत्र जैरूपा,जाति जोगी, निवासी रेवतडा,तहसील सायला,जिला जालोर 2.सरपंच, ग्राम पंचायत सायला

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–
1.श्री प्रवीणसोलंकी, अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2.श्री गोपालसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,अप्रार्थी सं.1की ओर से।
3.अप्रार्थी सं.2 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 24.6.2019

1. प्रार्थी के अनुसार निगरानी प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा रेवतडा में पूर्व खसरा नम्बर 327 के नवीन खसरा नम्बर 864रकबा 1.12 हेक्टर भूमि सडके, सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है जो गैर मुमकिन सडक है अर्थात रास्ते की जमीन है। अप्रार्थी सं.1 ने ग्राम पंचायत रेवतडा से मिलावट कर रास्ते की जमीन को अवैध रूप से बैचान करने के लिए अनापति प्रमाण पत्र अपने नाम जारी करवा दिया, उक्त अनापति प्रमाण पत्र में पडौस उतर में–आम रास्ता,भुजा 77 फीट ,दक्षिण में–हीरा/जैरूपा व जरूपा/सोना जोगी,भुजा 56.6 फीट,पश्चित में–खातेदारी भुमि, भुजा 70 फीट है। ग्राम पंचायत ने उक्त रास्ते की भूमि को अप्रार्थी सं.1 की पुश्तैनी व कब्जासुदा गलत रूप से बताई है तथा उक्त भूमि का अप्रार्थी सं.1 द्वारा बैचान किया जाने में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही होने का हवाला दिया है। उक्त अनापति प्रमाण पत्र किस कमांक व किस भूमि का जारी किया गया है। खसरा नम्बर 864 की भूमि रास्ते की भूमि है ,अगर उक्त अनापति प्रमाण पत्र को निरस्त नही किया गया तो प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात होगा। अप्रार्थी सं.1 द्वारा अप्रार्थी सं.2 से मिलावट कर रास्ते की जमीन को अपनी कब्जासुदा भूमि बताकर बैचान आदि हेतु अनापति प्रमाण पत्र दिनांक 25.11.2006को प्राप्त किया जिसकी जानकारी गांव वालों के माध्यम से प्रार्थी को हुई , तब प्रार्थी द्वारा उसकी प्रमाणित प्रति मांगी गई जो

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

दिनांक 7.4.15 को प्राप्त हुई, इस प्रकार जानकारी एवं नकल प्राप्ति की तारीख से निगरानी अन्दर म्याद है तथापि देरी को समायोजन करने हेतु अलग से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है।अतः ग्राम पंचायत रेवतडा द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र दिनांक 25.11.2006 निरस्त करने का आदेश करावे। प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थनापत्र में फहरिस्त के साथ प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति आदि पेश की, इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रेवतडा ने सबंधित रैकार्ड में केवल अनापति प्रमाणपत्र की फोटो प्रमाणित प्रति ही उपलब्ध होना पत्र कमांक/2018–19/स्पे.1 दिनांक 10.7.2018 से बताया है।

2. प्रार्थी के धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र व प्रस्तुत शपथपत्र का खण्डन नही करने से प्रार्थी की निगरानी अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. अप्रार्थी सं.1 द्वारा प्रार्थी की निगरानी का जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब बंद किया गया।

4. बहस सुनी गई।प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने निगरानी में वर्णित तथ्यों को बहस में बताया व बताया कि मौजा रेवतडा के पूर्व खसरा नम्बर 327 नवीन खसरा नम्बर 864रकबा 1.12 हेक्टर भूमि सडके, सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज है जिस पर अप्रार्थी सं.1 को सरपंच, ग्राम पंचायत रेवतडा द्वारा दिनांक 25.11.06 को अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया है,जिसमें कमांक सं. अंकित नही है जो निरस्त करावे, इसके विपरीत अप्रार्थी सं.1 के अभिभाषक ने बहस में बताया कि प्रमाण पत्र में कही पर खसरा नम्बर अंकित नही होने से अप्रार्थी सं.1 को खसरा नम्बर 327 नवीन खसरा नम्बर 864 की भूमि में अनापति प्रमाण पत्र जारी करना बताना गलत है। अप्रार्थी सं.1 का परिवार जो जोगी जाति से है, पीढीयों से इस भूमि पर रहते आये है तथा निगरानी वर्ष 2015 में पेश की है,अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज करावे।

5. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी करताराम ने मौजा रेवतडा के पूर्व खसरा नम्बर 327 के नवीन खसरा नम्बर 864 रकबा 1.12 हेक्टर,किस्म गैर मुमकिन सडक में अप्रार्थी सं.1 के नाम सरपंच, ग्राम पंचायत रेवतडा द्वारा जारी बैचान का अनापति प्रमाण पत्र को निरस्त करने हेतु यह निगरानी पेश की है, राजस्व रैकार्ड में उक्त भूमि गैर मुमकिन सडक अंकित है। मौजा रेवतडा के नामान्तारकरण सं. 609 में गत खसरा नम्बर 327रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा पूर्व में बारानी प्रथम थी, उप

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जालोर (राज.)

तहसीलदार सायला द्वारा दिनांक 27.10.80 को बिला नाम पी.डब्लू डी सडक, किस्म गैर मुमकिन सडक के नाम नामान्तरकरण पारित किया गया है।

इसी भूमि बाबत् श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर द्वारा पत्र कमांक /पंजा/जालोर/विजा/4/2012/1040दिनांक 28.5.2014 से जांच रिपोर्ट श्रीमान् शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय,जोधपुर को जांच रिपोर्ट भिजवाई गई है जिसमें बिन्दु सं.1 पर बताया गया है कि मंशाराम पुत्र जैरूपाजी जोगी को सार्वजनिक निर्माण विभाग के रास्ते की भूमि को पुरानी आबादी भूमि बताकर एन.ओ.सी.जारी की गई है, इसी आधार पर तीजादेवी पत्नि खीमाजी को जरिए रजिस्ट्री भूमि का बैचान किया गया है। बिन्दु सं. 2(2) में पटवारी की मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 864 की भूमि पर 15–16 कब्जो,बाडो व चारदिवारी की पुष्टि की गई है, साथ ही राजस्व नक्शे के अनुसार तथाकथित सडक की चौडाई कही पर 8 मीटर,कही पर 15मीटर व कही पर 20–25 मीटर तक दर्ज है जबकि मौके पर खसरे की चौडाई 4–6 मीटर है,उक्त पूरी भूमि गैर मुमकिन सडक नहीं हो सकती है। राजकीय पैरोकर द्वारा सहायक अभियंता, सा.नि.वि.सायला तथा पटवारी–ग्रामसेवक, रेवतडा द्वारा मौके पर तैयार की गई मौका फर्द व भूमि पैमाइश अनुसार उक्त भूमि रेवतडा–बाकरा सडक पर खसरा नम्बर 864 में सडक सीमा में होना बताया है।इससे साफ जाहिर हैं कि सरपंच,ग्राम पंचायत रेवतडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 25.11.06 गैर मुमकिन सडक में जारी किया गया है।

उप शासन सचिव(विधि),ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग(पंचायती राज विभाग), राज. जयपुर के परिपत्र कमांकःएफ.4(16)दिशा निर्देश/विधि /पंस/2016/ 325 दिनांक 19.4.2017 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में स्वामित्व प्रमाणपत्र अथवा किसी निजी भवन के विकय आदि के सबंध में अनापति प्रमाणपत्र ग्राम पंचायतो द्वारा जारी कियें जाने का कोई प्रावधान नही है। हस्तगत प्रकरण में सरपंच ,ग्राम पंचायत रेवतडा द्वारा अप्रार्थी सं. 1–मंशाराम को कमांक– दिनांक 25.11.06 से ऐसा ही अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसमें यह अंकित है कि प्रार्थीगण मंशाराम व जैरूपा अपना रहवासी भूमि का अन्य को बैचान करें तो ग्राम पंचायत रेवतडा को कोई उजर एतराज नही है। हालांकि यह अनापति प्रमाणपत्र उक्त परिपत्र जारी होने की दिनांक से पूर्व जारी किया गया हैं लेकिन इसमें यह स्पष्ट हैं कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में स्वामित्व प्रमाणपत्र अथवा किसी निजी भवन के विकय आदि के सबंध में अनापति प्रमाणपत्र ग्राम पंचायतो द्वारा जारी किये जाने का कोई

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

प्रावधान नही है। इसके अलावा, सरपंच, ग्राम पंचायत रेवतडा द्वारा उक्त प्रमाण पत्र बैठक कार्यवाही रजिस्टर में प्रस्ताव लेकर जारी करने का कोई रैकार्ड पेश नही किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा सरपंच,ग्राम पंचायत रेवतडा के प्रमाणपत्र दि. 25.11.06 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच,ग्राम पंचायत रेवतडा द्वारा अप्रार्थी सं.1–मंशाराम के नाम जारी प्रमाण पत्र दिनांक 25.11.2006 निरस्त किया जाता है।पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

24/6/19

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 24.6.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

24/6/19

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जालोर